



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2725]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2016/कार्तिक 27, 1938

No. 2725]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2016/KARTIKA 27, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2016

का.आ. 3489(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 3408(अ) तारीख 8 नवम्बर, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 8 नवम्बर, 2016 को प्रकाशित की गई थी, को और संशोधित करती है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 के खंड (द) और खंड (ध) का तारीख 17 नवम्बर, 2016 से लोप किया जाता है।

[फा. सं. 10/03/2016-सीवाई. I]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 3408(अ) तारीख 8 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसको अधिसूचना सं. का.आ. 3416(अ) तारीख 9 नवम्बर, 2016, का.आ. 3429(अ) तारीख 10 नवम्बर, 2016, का.आ. 3445(अ) तारीख 11 नवम्बर, 2016, का.आ. 3447(अ) तारीख 13 नवम्बर, 2016, का.आ. 3448(अ) तारीख 14 नवम्बर, 2016 और का.आ. 3480(अ) तारीख 17 नवम्बर, 2016 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th November, 2016

S.O. 3489(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3408(E) dated the 8th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 8th November, 2016, namely:—

1. In the said notification, in paragraph 1, clauses (r) and (s) shall be omitted with effect from 17th November, 2016.

[F. No. 10/03/2016-Cy.I]

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 3408(E) dated the 8th November, 2016 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 3416(E) dated the 9th November, 2016, S.O. 3429(E) dated the 10th November, 2016, S.O. 3445(E) dated the 11th November, 2016, S.O. 3447(E) dated the 13th November, 2016, S.O. 3448(E) dated the 14th November, 2016 and S.O. 3480 dated the 17th November, 2016.